प्रेस नोट

दिनांक 27-10-2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 20 वर्ष का कारावास व रू0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा--

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22-09-2019 को वादिनी की तहरीर पर थाना छपिया में दुराचार करने का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमे थाना छपिया पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त राहुल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना छपिया में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री सुनील मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर हेडका0 अजय पटेल व थाना छपिया के पैरोकार का0 अभिषेक सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 27-10-2026 को दोषी अभियुक्त राहुल कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश / (पॉक्सो एक्ट(, गोण्डा श्री निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कारावास व रूपये 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।

अभियुक्त का विवरण-

01- राहुल कुमार पुत्र राम प्रसाद, निवासी हथियागढ़, थाना छपिया, जिला गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0- -263/2019 धारा-376 भारतीय दंड संहिता तथा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 27-10-2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से बलवा व मारपीट करने के आरोपी अभियुक्तों को हुई 02-02 वर्ष का कारावास व रू0 21,000-21,000/- के अर्थदण्ड की सजा--

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12-11-2007 को वादिनी रंजू देवी की लिखित तहरीर पर थाना उमरीबेगमगंज में बलवा व मारपीट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमे थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री नीरज मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर का0 बालेश्वर यादव व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 27-10-2026 को दोषी अभियुक्तगण अरून सिंह पुत्र रामसोहावन सिंह, बम बहादुर सिंह पुत्र रामऔतार सिंह व रामचन्दर सिंह पुत्र पृथा सिंह को सिविल जज / (०डि०सी)एफ०टी०सी० नवीन/ ए०सी०जे०एम०, गोण्डा श्री अनुराग द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 02-02 वर्ष का कारावास व रू0 21,000-21,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।

अभियुक्त का विवरण-

1- अरून सिंह पुत्र रामसोहावन सिंह, निवासी लालापुरवा, थानाउमरीबेगमगंज-, जिलागोण्डा।-
2- बम बहादुर सिंह पुत्र रामऔतार सिंह, निवासी लालापुरवा, थानाउमरीबेगमगंज-, जिलागोण्डा।-
3- रामचन्दर सिंह पुत्र पृथा सिंह निवासी लालापुरवा, थानाउमरीबेगमगंज-, जिलागोण्डा।-

अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0- 11/2007 धारा-147,148,323,324,504 506 व 452 भा०दं०सं० थानाउमरीबेगमगंज-, जिलागोण्डा। -

मीडिया सेल, गोण्डा।